पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बबगढ़

5।9।19 पत्रावली प्रा० पत्र बाबत दस्तावेज लौटाने हेतु पेश होने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। प्रा० पत्र पर आवेदक वकील को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर असल विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति उप पंजीयक झुन्झुनूं से जारी की हुई है तथा आवेदक द्वारा भी असल विक्रय पत्र भी इस न्यायालय मे असल प्रमाणित प्रति लिपि प्राप्त कर प्रा० पत्र के साथ पेश की है। आवेदक का विक्रय पत्र असल है। सिराहा प्राप्त करने का उसे अधिकार है। अतः मूल विक्रय पत्र दिनांक 7.5.1977 को आवेदक को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रमाणित प्रतिलिपि को पत्रावली मे शामिल रखा जावे। पत्रावली बाद तरतीब दाखिल दफ्तर हो। 5-9-19

उपखण्ड अधिकारी
बबगढ़

असल विक्रय पत्र प्राप्त किया 5।9।19

...जाति राजपूत निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
बनाम —वादी

1. बजरंगसिंह पुत्र नन्दसिंह
2. भगवानसिंह पुत्र भोपालसिंह
3. भंवरकंवर पत्नी किशोरसिंह
4. कमलकंवर पत्नी हजारीसिंह
5. राजूसिंह
6. विक्रमसिंह } पुत्रान हजारीसिंह
7. रणवीरसिंह
8. सुमनकंवर
9. अनुकंवर } पुत्रियां हजारीसिंह जाति समस्त राजपूत निवासीगण गोठडा त० नवलगढ
10. जगदीश
11. गिरधारी } पुत्रान रिछपाल जाति गुर्जर निवासी गोठडा तहसील नवलगढ
12. सुलतान
13. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
14. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड, बंटवारा जमीन

ऐडवोकेट वादी— श्री अशोक कुमार जांगिड
ऐडवोकेट प्रति0— श्री राहुल देव कुमावत

## निर्णय

दिनांक 01.08.2019

वाद वादीगण दिनांक 22.04.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2019/1273 दिनांक 25.06.2019 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में कोई एतराज नही होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद न्यायोचित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू. अ./2019/1273 दिनांक 25.06.2019 राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1-8-19
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner